रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-04122020-223502 CG-DL-E-04122020-223502

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 536]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 4, 2020/ अग्रहायण 13, 1942

No. 536]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 4, 2020/AGRAHAYANA 13, 1942

भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली. 4 दिसम्बर. 2020

भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण के साथ भाण्डागार के पंजीकरण हेतु आवश्यक प्रतिभूति जमा

- सं. टी -23/3/2020/तकनीकी.—भाण्डागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) की धारा 35 की उप-धारा (2) के खंड (ज) एवं (त) और भाण्डागारण (विकास और विनियमन) भाण्डागार पंजीकरण नियम, 2017 के नियम 19 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 22 जनवरी 2019 की अधिसूचना संख्या विज्ञापन III/4/असा।/513/18 के अधिक्रमण मे भाण्डागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (जिसे यहाँ इसके बाद प्राधिकरण कहा गया है) एतदद्वारा प्राधिकरण के साथ भाण्डागारों के पंजीकरण के लिए आवश्यक प्रतिभूति जमा हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अधिसचित करता है:
- 1. भाण्डागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (डब्लूडीआरए) के साथ भाण्डागार(रों) के पंजीकरण का अनुरोध करने वाले आवेदक भाण्डागार/भाण्डागार सेवा प्रदाता (डब्लूएसपी) द्वारा, पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए जाने से पूर्व, प्राधिकरण को प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करनी होगी। इस संबंध में प्राधिकरण से सूचना जारी होने के 21 कार्य दिवस के भीतर प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करनी होगी।
- 2. यदि आवेदक उपर्युक्तानुसार निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो, आवेदन को निरस्त माना जाएगा बशर्ते प्राधिकरण संतुष्ट हो जाए कि आवेदक द्वारा 21 कार्य दिवस की उक्त अवधि के भीतर प्रतिभूति

5910 GI/2020 (1)

जमा प्रस्तुत न करने हेतु पर्याप्त कारण मौजूद था | उस स्थिति में आवेदक को प्राधिकरण के निर्णयानुसार विस्तारित अवधि के भीतर प्रतिभृति जमा प्रस्तुत करने की अनुमति होगी |

- 3. यदि आवेदक नीचे निर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करता है तो, प्राधिकरण भाण्डागारण (विकास और विनियमन) भाण्डागारो का पंजीकरण नियम, 2017 की चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट प्रारूप में 5 कार्य दिवस के भीतर आवेदक को भाण्डागार के संबंध में पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा।
- 4. आवेदक या भाण्डागारपाल द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिभूति जमा की राशि तथा तरीके का ब्यौरा निम्नवत है:
- (i) भाण्डागारपाल भाण्डागार के पंजीकरण की अवधि के दौरान प्राधिकरण द्वारा धारित प्रतिभूति जमा को बनाए रखेगा। प्रतिभूति जमा के दो घटक अर्थात स्थिर तथा गत्यात्मक प्रतिभूति जमा है। स्थिर प्रतिभूति जमा भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण के साथ पंजीकृत भांडागारपाल से संबधित प्रत्येक भांडागार के लिए है। जबिक गत्यात्मक प्रतिभूति जमा पूर्ववर्ती माह के दौरान किसी दिन भांडागारपाल के सभी पंजीकृत भांडागारों की परक्राम्य तथा अपरक्राम्य रसीदों (चाहे वे इलेक्ट्रोनिक अथवा भौतिक किसी रूप मे हो) के बकाया एवं समेकित मूल्य के अधिकतम का प्रतिशत है।
- (क) भांडागारपाल के लिए प्राधिकरण से पंजीकृत सभी भांडागार की कुल भंडारण क्षमता यदि 2000 टन तक है, तो स्थिर प्रतिभूति जमा की राशि रु 50,000/- प्रति भांडागार होगी (भांडागारों के पंजीकरण के लिए तालिका -1 के स्तम्भ "क" मे विवरण दिया गया है।) जबिक गत्यात्मक प्रतिभूति जमा पूर्ववर्ती माह के दौरान किसी दिन भांडागारपाल के सभी पंजीकृत भांडागारों की परक्राम्य तथा अपरक्राम्य रसीदों (चाहे वे इलेक्ट्रोनिक अथवा भौतिक किसी रूप मे हो) के बकाया एवं समेकित मल्य के अधिकतम (टी) का 3 प्रतिशत है। जो की स्तम्भ "ख" मे "टी" के रूप मे दर्शाया गया है।

स्तम्भ "क" और "ख" मे दर्शाई गयी प्रतिभूति राशि, जो कुल 2000 टन भंडारण क्षमता वाले भांडागारपालो के लिए है वह नीचे दी गयी तालिका - 1 के स्तम्भ "ग" मे दर्शाई कुल प्रतिभूति राशि तक सीमित होगी ।

कुल पंजीकृत भांडागारपाल की भंडारण क्षमता (टन	स्थिर प्रतिभूति जमा	गत्यात्मक प्रतिभूति जमा	कुल जमा प्रतिभूति राशि की सीमा
मे)	क	ख	ग
100 टन तक	रु. 50,000/- प्रति भांडागार	NIL	कुल रु. 50,000/- तक सीमित
101 – 500 ਟਜ	रु. 50,000/- प्रति भांडागार	टी का 3%	कुल रु. 2.50 लाख तक सीमित
501 – 1000 टन	रु. 50,000/- प्रति भांडागार	टी का 3%	कुल रु. 5.00 लाख तक सीमित
1001 – 1500 ਟਜ	रु. 50,000/- प्रति भांडागार	टी का 3%	कुल रु. 7.50 लाख तक सीमित
1501 – 2000 ਟਜ	रु. 50,000/- प्रति भांडागार	टी का 3%	कुल रु. 10.00 लाख तक सीमित

तालिका - 1

(ख) यदि भांडागारपाल के लिए प्राधिकरण से पंजीकृत सभी भांडागारो की कुल भंडारण क्षमता 2000 टन से ज्यादा है, तो स्थिर प्रतिभूति जमा की राशि रु 1 लाख/- प्रति भांडागार होगी (भांडागारों के पंजीकरण के लिए तालिका के स्तम्भ "जेड" मे विवरण दिया गया है।) जबिक गत्यात्मक प्रतिभूति जमा राशि पूर्ववर्ती माह के दौरान किसी दिन भांडागारपाल के सभी पंजीकृत भांडागारों की परक्राम्य तथा अपरक्राम्य रसीदों (चाहे वे इलेक्ट्रोनिक अथवा भौतिक किसी रूप मे हो) के बकाया एवं समेकित मूल्य के अधिकतम का प्रतिशत है। इसे यहा नीचे तालिका मे "टी" के रूप मे दर्शया गया है।

परक्राम्य तथा अपरक्राम्य भांडागार रसीदों (चाहे वे इलेक्ट्रोनिक अथवा भौतिक किसी रूप मे हो) के मूल्य का प्रतिशत स्लैब मे तालिका -2 मे "अ" एवं "ब" के रूप मे दर्शाया गया है । पिछले स्लैब की अपेक्षित प्रतिभृति जमा राशि "अ" के रूप मे दर्शाई है, जबिक "ब" संदर्भित स्लैब की अपेक्षित प्रत्याभूति जमा राशि है जो की गत्यात्मक प्रतिभूति की संदर्भित स्लैब मे दर्शाई गयी है।

स्थिर (स्तम्भ "स") और गत्यात्मक प्रतिभूति (स्तम्भ "अ" एवं "ब") की संचयी राशि तक नीचे तालिका -2 के अनुसार प्राधिकरण के साथ बनाए रखनी होगी।

		. ~
ता	ालका	-2

स्लैब	गत्यात्मक प्रतिभूति जमा		स्थिर प्रतिभूति जमा	
	अ	ब		स
'टी' 25 करोड़ रूपए या इससे	0	'टी' मूल्य का 3 प्रतिशत	1 लाख	रूपए प्रति
कम है			भाण्डागार	
'टी' 25 करोड़ रूपए से अधिक	75 लाख रूपए	25 करोड़ रूपए से अधिक	1 लाख	रूपए प्रति
और 250 करोड़ रूपए तक है		'टी' मूल्य का 1.5 प्रतिशत	भाण्डागार	
'टी' 250 करोड़ रूपए से अधिक	4.125 करोड़ रूपए	250 करोड़ रूपए से अधिक	1 लाख	रूपए प्रति
और 2,500 करोड़ रूपए तक है		'टी' मूल्य का 1 प्रतिशत	भाण्डागार	
'टी' 2,500 करोड़ रूपए से	26.625 करोड़ रूपए	2,500 करोड़ रूपए से	1 लाख	रूपए प्रति
अधिक है		अधिक 'टी' मूल्य का 0.5	भाण्डागार	
		प्रतिशत		

- (ii) निर्धारित प्रतिभूति जमा पंजीकरण अवधि से ऊपर छह माह तक के लिए बनाए रखनी होगी जबिक गत्यात्मक प्रतिभूति जमा को प्रत्येक माह के अंत मे अद्धतन कर प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा जिसकी प्राधिकरण द्वारा विधिवत पावती दी जाएगी। प्रतिभूति जमा की वैधता कम से कम छह महीने के लिए रखी जा सकती है तािक इस अविध मे प्रतिभूति जमा मे किन्ही परिवर्तनों को ध्यान मे रखा जा सके।
- (iii) प्राधिकरण अपने विवेकानुसार भाण्डागारपाल द्वारा पहले से जमा प्रतिभूति को वर्तमान प्रतिभूति जमा के रूप में प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित राशि के विरुद्ध समायोजित कर सकता है।
- (iv) जहां आवेदक/भाण्डागारपाल कोई किसान उत्पादक संगठन या कोई सहकारिता है, तो कुल प्रतिभूति जमा 50,000 रूपए (स्थिर (और गत्यात्मक प्रतिभूति को मिलाकर) प्रति भाण्डागार होगी।
- (v) प्रतिभूति जमा पंजीकरण की समाप्ति के 6 माह तक की अवधि के लिए पहली अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार डब्लूडीआरए के पक्ष में बैंक सावधि जमा या बैंक गारंटी के रूप में होगी।
- (vi) प्राधिकरण संसद या किसी राज्य विधानसभा के अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए निकाय को दूसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार प्रतिभूति जमा के रूप में अपेक्षित राशि हेतु एक क्षतिपूर्ति बंधपत्र उपलब्ध करवाने की अनुमति दे सकता है।
- (vii) प्राधिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत करने के लिए अनुमित प्राप्त कोई निकाय पंजीकरण हेतु अपने आवेदन के साथ ऐसे क्षतिपूर्ति बंधपत्र को प्रस्तुत करने के लिए अपने निदेशक मंडल से एक संकल्प प्रस्तुत करेगा।
- (viii) प्रतिभूति जमा को भाण्डागार के पंजीकरण की समाप्ति, निरस्तीकरण अथवा अभ्यर्पण के पश्चात 6 माह तक अथवा प्रतिभूति जमा के प्रति प्रत्येक दावे की संतुष्टि होने तक, जो भी बाद में हों, जारी नहीं किया जाएगा।
- (ix) प्राधिकरण किसी भण्डागार की प्रतिभूति जमा वापस करेगा, यदि:
 - क. यदि भाण्डागार के पंजीकरण के नवीकरण हेतु किसी आवेदन को निरस्त कर दिया गया है और प्राधिकरण इससे संतुष्ट है कि भाण्डागारपाल ने अपने दायित्वों को इन नियमों के अनुसार निष्पादित किया है;
 - ख. कोई भाण्डागारपाल अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण करता है और प्राधिकरण ऐसे अभ्यर्पण को स्वीकार कर लेता है; अथवा
 - ग. किसी भाण्डागार के पंजीकरण के प्रमाणपत्र को निरस्त कर दिया गया है और प्राधिकरण इससे संतुष्ट है कि भाण्डागारपाल ने अपने दायित्वों का निर्वहन इन नियमों के अनुसार किया है।

(x) उपर्युक्त (1) तथा (2) में निर्दिष्ट किए अनुसार प्रतिभूति जमा के ऐसे किसी संशोधन के बावजूद, यदि कोई है, भाण्डागारपाल उन्हें जारी परक्राम्य भाण्डागार रसीदों की वैध अविध में जमाकर्ताओं को देय प्रभारों में वृद्धि नहीं करेगा।

प्रथम अनुसूची

(भाण्डागारपाल द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिभूति जमा हेतु बैंक गारंटी का प्रारूप)

ानदशक (प्रशासन एवं वित्त)
भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (डब्लूडीआरए)
एनसीयूआई भवन (चौथा तल),
3, सीरी इन्स्टीटय़ूशनल एरिया,
अगस्त क्रांति मार्ग,
हौज खास, नई दिल्ली - 110016
(यथा लागू स्टाम्प शुल्क के साथ)
हमारा गारंटी पत्र सं
1. भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण, जिसका कार्यालय एनसीयूआई परिसर (चौथा तल), 3,
इन्स्टीटय़ूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, हौज खास, दिल्ली - 110016 (भारत) (जिसे इसके बाद यहाँ " डब्लूडीआरए"
कहा गया है, जब तक संदर्भ या अर्थ के विपरीत न हो इसके सभी उत्तराधिकारी, प्रशासक और निष्पादक शामिल होंगे) में
अवस्थित है और जिसने मैसर्स से संबिन्धित भाण्डागारों (इस अनुसूची के साथ संलग्न सूची के
अनुसार) के पंजीकरण प्रदान करने पर विचार किया है / प्रदान किया है (जिसे इसके बाद यहाँ "भाण्डागारपाल" कहा गया
है, जब तक संदर्भ या अर्थ के विपरीत न हो इसके सभी उत्तराधिकारी, प्रशासक और निष्पादक शामिल होंगे)।
2. जबिक भाण्डागारपाल भाण्डागारण (विकास और विनियमन) भाण्डागार पंजीकरण नियम, 2017 (जिसे इसके

- 4. हम डब्लूडीआरए को इस प्रकार मांग की गई कोई भी राशि अदा करने का वचन देते हैं, बावजूद इसके कि भाण्डागारपाल ने किसी न्यायालय अथवा अभिकरण के समक्ष तत्संबंधी किसी वाद या कार्यवाही में किसी विवाद अथवा विवादों को उठाया हुआ है, इसके अंतर्गत हमारी देयता पूर्ण तथा स्पष्ट है। इस बंधपत्र के अंतर्गत हमारे द्वारा किया गया भुगतान अथवा तत्संबंधी भुगतान हेतु देयता के लिए एक वैध निर्वहन होगा और ऐसा भुगतान करने पर भाण्डागारपाल का हमारे प्रति कोई दावा नहीं होगा।

5.	हम(बैंक का नाम) आगे इसके लिए र्भ
सहम	होते हैं कि डब्लूडीआरए के पास हमारी सहमति के बिना और इसके अंतर्गत हमारे दायित्वों को किसी तरीके से
	त किए बिना उक्त अनुबंध के किसी निबंधन एवं शर्त को बदलने या समय-समय पर भाण्डागारपाल द्वारा निष्पादन
के स	य में विस्तार करने अथवा समय-समय पर डब्लूडीआरए द्वारा भाण्डागारपाल के विरूद्ध की जाने वाली शक्तियों वे
प्रयोग	को स्थगित करने और उक्त समझौते से संबंधित निबंधन एवं शर्तों को रोकने या लागू करने की पूर्ण स्वतंत्रता होर्ग
और	म उक्त अनुबंध से संबंधित निबंधन एवं शर्तों के अंतर्गत अपनी देयता से मुक्त नहीं होंगे तथा हम डब्लूडीआरए र्क
ओर	भाण्डागारपाल को प्रदान किए गए ऐसे किसी अंतर, या विस्तार अथवा डब्लूडीआरए की ओर से कोई रोक, कृत्य य
चूक ः	थवा भाण्डागारपाल के साथ डब्लूडीआरए के किसी कृत्य में शामिल होने अथवा किसी भी अन्य मामले या घटना से
जिस	अंतर्गत जमानत देने वालों से संबंधित कानूनों का प्रभाव हमें मुक्त करेगा, बशर्ते यह प्रावधान न हो।
6.	यह गारंटी बैंक या भाण्डागारपाल के गठन में परिवर्तन के कारण निरस्त नहीं होगी।
7. লিভি	हम(बैंक का नाम) अंततः इस गारंटी को डब्लूडीआरए की पूर्व स्वीकृति । में प्राप्त होने तक वापिस न लेने का वचन देते हैं
8.	यहां कुछ भी समाविष्ट होते हुए भी :-
) इस बैंक गारंटी के अंतर्गत हमारी देयता ((रपए मात्र) है।
) यह बैंक गारंटीतक वैध है और
	ii) हम इस बैंक गारंटी के अंतर्गत किसी गारंटीशुदा राशि या उसके किसी अंश का भुगतान केवल तब तक करने क ग़यित्व रखते हैं जब तक डब्लूडीआरए हमें(गारंटी की समाप्ति की तिथि) को य उससे पूर्व लिखित में दावा या मांग भेजे।

दिनांक माह...... 20..... प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/प्रबंधक का नाम

कृते (**बैंक का नाम**)

शाखा

बैंक की मुहर

द्वितीय अनुसूची क्षतिपूर्ति बंधपत्र

इस क्षतिपूर्ति बंधपत्र को20.... को(संसद या राज्य विधायिका के किसी अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया कोई निकाय, जिसे एतदपश्चात "निकाय" कहा गया है, द्वारा भाण्डागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (डब्लूडीआरए), जिसे एतदपश्चात "प्राधिकरण " कहा गया है, के पक्ष में विलेख द्वारा निष्पादित किया गया है।

जबकि :

- क) भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (डब्लूडीआरए) की स्थापना भाण्डागार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (अधिनियम, 2007) के अंतर्गत भाण्डागारों के विकास, भाण्डागार रसीदों के परक्राम्य के विनियमन और भाण्डागार व्यवसाय की व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने के लिए अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के कार्यान्वयन को विनियमित करने तथा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। परक्राम्य रसीदों को जारी करके किसी भाण्डगार के रखरखाव के व्यवसाय को प्रारंभ करने या जारी रखने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को पंजीकृत होना अपेक्षित होता है और इस प्रयोजन हेतु "अधिनियम, 2007 " के अंतर्गत डब्लूडीआरए (प्राधिकरण) को आवेदन दिया जाना होता है।
- ख) अपने भाण्डागार का पंजीकरण करवाने के इच्छुक प्रत्येक आवेदक/भाण्डागार सेवा प्रदाता (डब्ल्यूएसपी) से प्राधिकरण से सूचना प्राप्त होने के 21 दिवस के भीतर प्राधिकरण को प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

ग) भाण्डागारपाल द्वारा प्रतिभूति जमा (डब्लूडीआरए के पक्ष में बैंक गारंटी के रूप में) के रूप में जमा करवाई जाने और पंजीकरण की अवधि के दौरान बनाए रखी जाने तथा प्रत्येक तिमाही कें अंत में अद्यतन की जाने वाली राशि निम्नवत हैं -

स्लैब	गत्यात्मक प्रतिभूति जमा		स्थिर प्रतिभूति जमा	
	अ	ब	स	
'टी' 25 करोड़ रूपए या इससे	0	'टी' मूल्य का 3 प्रतिशत	1 लाख रूप	गए प्रति
कम है			भाण्डागार	
'टी' 25 करोड़ रूपए से अधिक	75 लाख रूपए	25 करोड़ रूपए से अधिक	1 लाख रूप	गए प्रति
और 250 करोड़ रूपए तक है		'टी' मूल्य का 1.5 प्रतिशत	भाण्डागार	
'टी' 250 करोड़ रूपए से अधिक	4.125 करोड़ रूपए	250 करोड़ रूपए से अधिक	1 लाख रूप	गए प्रति
और 2,500 करोड़ रूपए तक है		'टी' मूल्य का 1 प्रतिशत	भाण्डागार	
'टी' 2,500 करोड़ रूपए से	26.625 करोड़ रूपए	2,500 करोड़ रूपए से	1 लाख रूप	गए प्रति
अधिक है		अधिक 'टी' मूल्य का 0.5	भाण्डागार	
		प्रतिशत		

टिप्पणी : यहां भाण्डागारपाल के सभी पंजीकृत भाण्डागारों हेतु पिछली तिमाही में ज़ारी कुल परक्राम्य भाण्डागार रसीदों का उच्चतम मल्य "टी" के रूप में संदर्भित किया गया है।

- घ) प्राधिकरण अपने विवेकानुसार भाण्डागारपाल द्वारा पहले से जमा प्रतिभूति को वर्तमान प्रतिभूति जमा के रूप में प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित राशि के विरुद्ध समायोजित कर सकता है। प्रतिभूति जमा को भाण्डागार के पंजीकरण की समाप्ति, निरस्तीकरण अथवा अभ्यर्पण के 6 माह बाद तक अथवा प्रत्येक दावे की संतुष्टि तक, जो भी बाद में हों, जारी नहीं किया जाएगा। प्राधिकरण के पास प्रतिभूति जमा की राशि को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है।
- ङ) चूंकि प्राधिकरण संसद या किसी राज्य विधानसभा के अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए निकाय को जो भाण्डागार के रखरखाव और परक्राम्य भाण्डागार रसीद को जारी करने का व्यवसाय कर रहा है, प्रतिभूति जमा के रूप में अपेक्षित राशि हेतु एक क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है और प्राधिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत करने के लिए अनुमेय किया गया ऐसा कोई निकाय पंजीकरण हेतु अपने आवेदन के साथ ऐसे क्षतिपूर्ति बंधपत्र को प्रस्तुत करने के लिए अपने निदेशक मंडल का एक संकल्प प्रस्तुत करेगा।

अतः अब ______ अधिनियम के तहत स्थापित मैसर्स _____ (निकाय का नाम), इस क्षतिपूर्ति बंधपत्र की नीचे दी गई शर्तों के अनुसार उक्त पैरा "ग" के अंतर्गत विहित सीमाओं की सीमा तक की राशि, चाहे कुछ भी हो, हेतु हर समय प्राधिकरण अर्थात डब्ल्यूडीआरए को सभी कारवाई, वाद, कार्यवाही, लेखे, दावे तथा मांग, जो कोई भी हो, के प्रति बचाने, बचाव करने तथा क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत होता है तथा इसके लिए वचन देता है कि:-

- 1) मेसर्स(निकाय का नाम) प्राधिकरण के नियमों तथा विनियमों के अंतर्गत उसकी ओर से निष्पादित की जाने वाली सभी बाध्यताओं का अनुपालन करेगा।
- 2) मेसर्स(निकाय का नाम) पंजीकरण की समाप्ति, निरस्तीकरण अथवा अभ्यर्पण के पश्चात 6 माह तक अथवा प्रतिभूति जमा के प्रति प्रत्येक दावे की संतुष्टि होने तक, जो भी बाद में हों, प्राधिकरण को क्षतिपूर्ति करने (उक्त पैरा "ग" में तालिका में उल्लिखित राशि हेतु) का वचन देता है।
- 3) मेसर्स(निकाय का नाम) किसी भाण्डागार के संबंध में क्षतिपूर्ति बंधपत्र के अंतर्गत अपने दायित्वों से मृक्त तब माना जाएगा, यदि -
 - क. भाण्डागार के पंजीकरण के नवीकरण हेतु किसी आवेदन को निरस्त कर दिया गया है और यदि प्राधिकरण इससे संतुष्ट है कि भाण्डागारपाल ने अपनी दायित्वों को इन नियमों के अनुसार निष्पादित किया है;

'(11	1—वन्द्र भ
	ख. यदि भाण्डागारपाल अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण करता है और प्राधिकरण ऐसे अभ्यर्पण को स्वीकार कर लेता है; अथवा
	ग. यदि किसी भाण्डागार के पंजीकरण के प्रमाणपत्र को निरस्त कर दिया गया है और प्राधिकरण इससे संतुष्ट है कि भाण्डागारपाल ने अपने दायित्वों का निर्वहन इन नियमों के अनुसार किया है।
4)	मेसर्स(निकाय का नाम) परक्राम्य भाण्डागार रसीद की अवधि के भीतर जमाकर्ताओं द्वारा देय दरों में वृद्धि न करने का वचन देता है।
	5) मेसर्स(निकाय का नाम) एतदद्वारा सहमत है कि प्राधिकरण को होने वाली हानि/ क्षति (उक्त पैरा "ग" की सीमा तक) की उसके द्वारा क्षतिपूर्ति की जाएगी।
	6) यह क्षतिपूर्ति बंधपत्रदिनमाहवर्ष तक वैध है।
	निम्नांकित के साक्ष्यांकन में इस क्षतिपूर्ति बंधपत्र को दिनांक 20 को निष्पादित किया गया।
	निष्पादक
	नाम
	पद
	संगठन
क्षेयो	ं की उपस्थिति में -

सारि

1)

2)

द्वितीय अनुसूची की अनुक्रमणिका

क्षतिपूर्ति बंधपत्र मे समिल्लित भांडागारों का विवरण

क्र. संख्या	भांडागार का नाम और पता	क्षमता (टन मे)

गणेश अ बाकडे, निदेशक (प्रशासन एवं वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./396/2020-21]

WAREHOUSING DEVELOPMENT AND REGULATORY AUTHORITY **NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th December, 2020

Requirement of Security Deposit for registration of warehouse (s) with the Warehousing **Development and Regulatory Authority**

No. T-23/3/2020-Technical—In exercise of the powers conferred by clauses (h) and (p)

of sub-section (2) of section 35 of the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 (37 of 2007) read with sub rule (1) of rule 19 of the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules, 2017, the Warehousing Development and Regulatory Authority (hereinafter referred as the Authority), in supersession of the notification dated 22nd January, 2019 vide ADVT.-III/4/Exty./513/18, hereby notifies the following revised procedure for requirement of Security Deposit for registration of warehouses with the Authority:

- 1. The applicant warehouse/ Warehouse Service Provider (WSP) seeking registration of their warehouse(s) with the Warehousing Development and Regulatory Authority (WDRA) shall submit a Security Deposit to the Authority before issue of a registration certificate. The Security Deposit shall be required to be submitted within 21 working days after issue of a communication by the Authority to this effect.
- 2. If the applicant fails to submit the Security Deposit within the period specified as above, the application shall be deemed to have been rejected, provided that the Authority may, if it is satisfied that the applicant was prevented by sufficient cause from submitting the security deposit within the said period of twenty-one working days, allow it to submit the security deposit within such extended time as may be decided by the Authority.
- 3. If the applicant submits the Security Deposit in the form and manner specified below, the Authority shall issue a certificate of registration to the applicant in respect of the warehouse to the applicant within five working days in the form specified in the Fourth Schedule of the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules, 2017.
- 4. Details of the amount and manner of Security Deposit to be furnished by the applicant or the warehouseman are given as under:
- i. The warehouseman shall maintain a Security Deposit to be held by the Authority during period of registration. The Security Deposit has two components, i.e. fixed and dynamic Security Deposit. The fixed Security Deposit amount is per warehouse belonging to the warehouseman registered with WDRA, whereas, the dynamic Security Deposit is a percentage of the maximum value of negotiable and non-negotiable warehouse receipts (whether in electronic or physical form) put together outstanding consolidatively in all the registered warehouses of the warehouseman on any day during the preceding month.
- (a) For warehouseman with total capacity of all warehouses upto 2000 MT belonging to the warehouseman registered with WDRA, the fixed Security Deposit is Rs. 50,000/- per warehouse (as detailed in the column A below for registration of warehouses), whereas, the dynamic Security Deposit is 3% (three percent) of the maximum value of negotiable and non-negotiable warehouse receipts (whether in electronic or physical form put together) outstanding consolidatively in all the registered warehouses of the warehouseman on any day **during the preceding month,** referred as T as mentioned in column B of Table 1 below.

The total security deposit of a sum of A and B for warehouseman having total warehouse capacity of all warehouses registered with WDRA up to 2000 MT, will be limited to total security deposit as detailed in column C, as given in Table I below:-

Table-I

Total registered Warehouse Capacity (in MT) for warehousemen	Fixed Security Deposit	Dynamic Security Deposit	Total Security Deposit Limited to the amount.
	A	В	С
Upto 100 MT	Rs. 50,000/- per warehouse	NIL	Total Limited to Rs. 50,000/-
101 – 500 MT	Rs. 50,000/- per warehouse	3% of T	Total Limited to Rs. 2.50 lakh

501 – 1000 MT	Rs. 50,000/- per warehouse	3% of T	Total Limited to Rs. 5.00 lakh
1001 – 1500 MT	Rs. 50,000/- per warehouse	3% of T	Total Limited to Rs. 7.50 lakh
1501 – 2000 MT	Rs. 50,000/- per warehouse	3% of T	Total Limited to Rs. 10.00 lakh

(b) For warehouseman with total capacity of all warehouses above 2000 MT belonging to the warehouseman registered with WDRA, the fixed Security Deposit is Rs. 1 lakh per warehouse (detailed in the column Z in the Table II below for registration of warehouses), whereas, the dynamic Security Deposit is a percentage of the maximum value of negotiable and nonnegotiable warehouse receipts (whether in electronic or physical form put together) outstanding consolidatively, in all the registered warehouses of the warehouseman on any day **during the preceding month**, referred as T in the table below. The specified percentage of the consolidated value of negotiable and non-negotiable warehouse receipts (whether in electronic or physical form) is in slabs (detailed in the column X&Y in the Table II below). X is the required Security Deposit in the previous slab whereas Y is Security Deposit required in the referred slab for the dynamic Security Deposit. The cumulative value of fixed (Column Z) and dynamic (Column X&Y) Security Deposit shall be maintained with WDRA as in the Table-II below:

Table-II

Slab	Dynamic Security Deposit		Fixed Security Deposit
	X	Y	Z
T is less than or equal to Rs.25 crore	0	3% of T	Rs. 1 lakh per warehouse
T is above Rs.25 crore and up to 250 crore	Rs. 75 lakh	1.5% of excess of T over Rs. 25 crore	Rs. 1 lakh per warehouse
T is above Rs.250 crore and up to 2,500 crore	Rs. 4.125 crore	1% of excess of T over Rs. 250 crore	Rs. 1 lakh per warehouse
T is above Rs.2,500 crore	Rs. 26.625 crore	0.5% of excess of T over Rs. 2500 crore	Rs. 1 lakh per warehouse

- ii. The fixed Security Deposit shall be maintained for a period of six months beyond the registration period whereas the dynamic Security Deposit shall be updated at the end of **each month** and submitted to the Authority which shall be duly acknowledged. The validity of dynamic Security Deposit can be kept for a period of minimum six months so as to take care of any changes in the requirement of Security Deposit during this period.
- iii. The Authority may, at its discretion, adjust the Security Deposit already furnished by the warehouseman against the amount required to be furnished as Security Deposit.
- iv. Where the applicant/ warehouseman is a Farmer Producer Organization or a PACCS, the total Security Deposit would be Rs. 50,000 (total) per warehouse covering both the dynamic and fixed Security Deposit.
- v. The Security Deposit shall be in the form of Bank Fixed Deposits or in form of Bank Guarantee, favouring WDRA as per the format given in First Schedule for a period of six months beyond the expiry of Registration.
- vi. The Authority may allow any entity created under an Act of Parliament or of State legislature to provide, an Indemnity Bond for the amount required as Security Deposit, as per format given in the Second Schedule.
- vii. An entity allowed by the Authority to submit an Indemnity Bond shall submit, along with its application for registration, a resolution from its Board of Directors authorizing to furnish such Indemnity Bond.

viii. The Security Deposit shall not be released until six months after expiry, cancellation or surrender of the registration of the warehouse or until after satisfaction of every claim against the Security Deposit, whichever is later.

- ix. The Authority shall refund the security deposit in respect of a warehouse, if
 - a. an application for renewal of registration of the warehouse has been rejected and if the Authority is satisfied that the warehouseman has discharged his obligations as per the requirements of the rules;
 - b. a warehouseman surrenders his certificate of registration, and the Authority accepts such surrender; or
 - c. the certificate of registration of a warehouse is cancelled, and the Authority is satisfied that the warehouseman has discharged his obligations as per the requirements of the rules.
- x. Notwithstanding such revision of the Security Deposit as specified at (i) & (ii) above, if any, the warehouseman shall not increase the charges payable by the depositors within the period of validity of negotiable warehouse receipts issued to them.

The First Schedule

(Format for Bank Guarantee for Security Deposit Payment to be submitted by Warehouseman)

Director (Administration & Finance)

Warehousing Development and Regulatory Authority (WDRA)

NCUI Building (4th Floor),

3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg,

Hauz Khas, New Delhi – 110016

(With due stamp duty as applicable)

1. In consideration of Warehousing Development and Regulatory Authority, having its office at NCUI Building (4th Floor), 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, Hauz Khas, Delhi – 110016 (INDIA) (hereinafter referred to as "WDRA" which expression shall unless repugnant to the content or meaning thereof include all its successors, administrators and executors) and having considered granting/ granted registration of the warehouse (s), namely, or as per list annexed with this schedule (duly endorsed by the Bank)
belonging to M/s
(hereinafter referred to as "The Warehouseman" which expression unless
repugnant to the content or meaning thereof, shall include all the successors, administrators, and executors).
2.WHEREAS the Warehouseman having unequivocally accepted to conduct business of warehousing as per terms and conditions given in the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules, 2017 (hereinafter referred as the Rules) and having agreed to furnish to WDRA a Security Deposit in the form of a Bank Guarantee for Rs (Rupees
3. We (Name of the Bank) do hereby undertake to pay the amount due and payable under this guarantee without any demur merely on a demand from the

WDRA stating that the amount claimed is due by way of loss or damage caused to or suffered by

the holder of the negotiable warehouse receipt due to breach by the warehouseman of any of the terms and conditions contained in the Rules and the notification. Any such demand made on the bank shall be conclusive as regards the amount due and payable by the Bank under this guarantee. However, our liability under this guarantee shall be restricted to an amount not exceeding Rs........

4. We undertake to pay to the WDRA any money so demanded notwithstanding any dispute or disputes raised by the warehouseman in any suit or proceeding pending before any court or Tribunal relating thereto, our liability under this present being absolute and unequivocal. The payment so made by us under this bond shall be a valid discharge of our liability for payment thereunder and the warehouseman shall have no claim against us for making such payment.
5. We
6. This guarantee will not be discharged due to the change in the constitution of the Bank or the warehouseman
7. We,
8. Notwithstanding anything contained herein:-
i) Our liability under this Bank Guarantee shall not exceed (Rupees only)
ii) This Bank Guarantee shall be valid upto and
iii) We are liable to pay the guaranteed amount or any part thereof under this Bank Guarantee only and only if the WDRA serve upon us a written claim or demand on or before (Date of expiry of guarantee)
Dated the day of 20
Name of Authorized Signatory/ Manager For (Name of the Bank)
Branch
Seal of the bank
The Second Schedule
INDEMNITY BOND
This indemnity is executed by deed on the day of 201 by
(an entity created under the Act of the Parliament or of the State

WHEREAS:

a) The Warehousing Development and Regulatory Authority (hereinafter referred as Authority) is established under the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 (Act, 2007) with the objective to regulate and ensure implementation of the

Legislative) hereinafter called "ENTITY" in favour of the Warehousing Development and

Regulatory Authority (WDRA) hereinafter called "AUTHORITY"

- provisions of Act, 2007 for development of warehouses, regulations of negotiability of Warehouse Receipts and promote orderly growth of warehousing business. Every person desirous of commencing or carrying business of maintaining a warehouse issuing negotiable warehouse receipts is required to be registered and for that purpose an application has to be made to the Authority under the Act, 2007.
- b) Every applicant warehouse/Warehouse Service Provider (WSP) seeking registration of their warehouse shall be required to submit security deposit to the Authority within 21 days of the communication by the Authority.
- c) The value of security deposit (in the form of bank guarantee in favour of Warehousing Development and Regulatory Authority) to be deposited by warehouseman and to be maintained during the period of registration and to be updated at the end of each month is as follows: -

Slab	Dynamic S	Fixed Security Deposit			
	A	В	C		
T is less than or equal to Rs.25 crore	0	3% of T	Rs. 1 lakh per warehouse		
T is above Rs.25 crore and up to 250 crore	Rs. 75 lakh	1.5% of excess of T over Rs. 25 crore	Rs. 1 lakh per warehouse		
T is above Rs.250 crore and up to 2,500 crore	Rs. 4.125 crore	1% of excess of T over Rs. 250 crore	Rs. 1 lakh per warehouse		
T is above Rs.2,500 crore	Rs. 26.625 crore	0.5% of excess of T over Rs. 2500 crore	Rs. 1 lakh per warehouse		

- Note: Here 'T' is referred in the above Table as highest value of total outstanding negotiable warehouse receipts in over the preceding month for all the warehouses registered by the warehouseman.
- d) The Authority may at its discretion, adjust the security deposit already furnished by warehouseman against the amount required as security deposit. The security deposit shall not be released until six months after cancellation, rejection or surrender of the registration of the warehouse or until after satisfaction of every claim against security deposit whichever is later. The Authority reserves its rights to revise the amount of security deposit.
- e) As the Authority may allow any entity created under an Act of the Parliament or State Legislative and carrying business of maintaining warehouse (s) and issuing Negotiable Warehouse Receipt, to submit Indemnity Bond in lieu of security deposit and the Entity allowed by the Authority to submit an Indemnity Bond shall submit, along with its application for registration, a resolution from its Board of Directors authorising the furnishing of such Indemnity Bond.

NOW	therefore	M/s				(name	of	the	entity	['])	establ	ished	under
			Act	agrees	and	undertake	s at	all	times	to	save,	defend	l, and
indemn	ify and kee	ep inde	emnified t	he Author	ority	from and a	again	st a	ll action	ns,	suits,	procee	dings,
accoun	ts, claims a	nd den	nands wha	itsoever 1	for an	amount of	f Rs.		(Rup	ees		on	ly) (as
detailed	l at Annexu	re) to t	the extent	of limits	to be	worked o	ut as	per	Para 'c	al'	ove a	nd as p	er the
conditi	ons of this i	indemr	nity bond	noted bel	ow: -								

- 1) M/s(name of the entity) shall comply with all the obligations to be performed on their part under the Authority's rules and regulations.

III—	ण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण	13						
)	M/s(name of the entity) shall be discharged of i obligation under Indemnity Bond in respect of a warehouse, if: -	ts						
	 An application for renewal of registration of the warehouse has been rejected and the Authority is satisfied that the warehouseman has discharged his obligations as p the requirements of the rules; 							
	b) A warehouseman surrenders his certificate of registration, and the Authority acc such surrender; or	epts						
	c) The certificate of registration of a warehouse is cancelled, and the Authority satisfied that the warehouseman has discharged his obligations as per th requirements of the rules.							
)	M/s(name of the entity) undertakes not to increase the charges payable by depositors within the period of Negotiable Warehouse Receip issued to them.	s payable by depositors within the period of Negotiable Warehouse Receipts						
)	M/s	ne						
)	This Indemnity Bond shall have validity tillday (month)201	of						
	In witness whereof signed this Indemnity Bond is executed on this day	y of						
	EXECUTO	R						
	NAME:							
	DESIGNATION:							
	ORGANISATION:	ORGANISATION:						
	(With Seal)							
	In the presence of witnesses: -							
	1)							
	2)							
	Annexure to the Second Sche Details of warehouses included in the Indemnity Bond	dule						
).	Name and Address of the Warehouse Capacity in MT							
	Capacity in 1911							

GANESH A. BAKADE, Director (Admn. & Fin.)

[ADVT.-III/4/Exty./396/2020-21]